तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/12/24	पत्रावली पेश। अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 31-1-25 को पेश हो	
31/1/25	पत्रावली पेश। प्रति०स० 1 की ओर से प्रा०पत्र 07 R 11 जा०दी० का पेश किया। प्रति वकील वादी दिलाई जाकर शा० मिसल किया गया। वास्ते पेश करने जवाब प्रा०पत्र दिनांक 3/2/2025 को पत्रावली पेश हो	
3/2/25	पत्रावली पेश। प्रति० स० 1 की ओर से जवाब दावा व वादी की ओर से जवाब प्रा०पत्र 07 R 11 जा० दी० का पेश किया। नकल वकील पक्षकारान दिलाई जाकर शा० मिसल किये गये। वास्ते बहस प्रा०पत्र दिनांक - 21/04/25 को पत्रावली पेश हो	
21/4/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस प्रा०पत्र दिनांक - 7/5/25 को पेश हो	
7/5/25	पत्रावली पेश। बहस प्रा०पत्र 07 R 11 जा०दी० पर वकील पक्षकारान सुनी गई। वास्ते आदेश प्रा०पत्र दिनांक - 2/6/25 को पेश हो	
2/6/25	पत्रावली पेश। दौराने बहस वकील प्रतिवादी ने कथन किया की वादी ने कब्जे के आधार पर	

P.T.O.→

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

घोषणा का अनुतोष चाहा है। लीजदारी से कब्जानामा खातेदारी दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। वादी का वाद, वाद हेतुक के अभाव में व विधि द्वारा वर्जित होने से खारीज योग्य है। प्रा०पत्र स्वीकार कर वाद वादी खारीज किया जावें।

खण्डन में वकील वादी ने कथन किया की हमने कब्जा मुचलकाना के आधार पर खातेदारी अधिकार का वाद पेश किया है। वादी का वाद विधि के किस प्रावधान के विपरित होने से खारीज किये जाने योग्य है का अकंन प्रा०पत्र में नहीं है। वाद पत्र मे अंकित तथ्यों का निर्धारण साक्ष्य उपरान्त होना है। प्रा०पत्र खारीज किया जावें।

हमने बहस वकील पक्षकारान पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद प्रतिवादी संख्या-1 के नाम लीजदारी मे दर्ज भूमि पर कब्जा मुचलकाना के आधार पर घोषणा का पेश किया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल-राजस्थान-अजमेर की वृहद पीठ ने कब्जा मुचलकाना के आधार पर घोषणा नहीं किये जाने बाबत विस्तृत आदेश जारी किया हुआ है। कब्जा मुचलकाना के आधार पर अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत विनिर्णय RRT 2011(2) P.No. 721 व DNJ 2019(Rev.) Page No. 255 प्रा०पत्र पर पूर्ण रूपेण होते है। अतः प्रा०पत्र O7R11 जा०दी० द्वारा प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर वाद, वादी विधि

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	द्वारा वर्जित होने से खारिज किया जाता है, पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नकल से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डौली